संख्या-139/2015/4067/26-3-2015-4(215)/90टी.सी.-I

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर 2015

विषयः-पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2861/स.क./शिक्षा-ब/2015-16,दिनांक-03.11.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-1649/26-3-2013,दिनांक-23.10.2013 एवं शासनादेश संख्या-966/26-3-2014-4(215)/90टी.सी.-I, दिनांक-20.06.2014 तथा शासनादेश संख्या-132/2015/4067/26-3-2015, दिनांक-09.11.2015 द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत गाइड लाइन/दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व10) के लिये सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की आय-सीमा रूपया-19884/-वार्षिक प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा रूपया-25546/-वार्षिक प्रति परिवार शहरी क्षेत्रों में निर्धारित की गयी है।

3- निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त पत्र दिनांक-03.11.2015 द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-17020/04/2013-एस.सी.डी.-ivदिनांक-17.08.2015 के साथ संलग्न योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एम-11099/3/2010-पी.पी. दिनांक-26.08.2013 द्वारा जारी गरीबी अनुमान के संलग्न सारिणी संख्या-1 में निर्धारित उ0प्र0 के लिये गरीबी रेखा की आय-सीमा प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया-768.00 तथा शहरी क्षेत्रों में रूपया-941.00 मासिक आय के आधार पर 05 व्यक्तियों के परिवार हेतु गरीबी रेखा की आय-सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया-46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रूपया-56460/- वार्षिक किये जाने हेतु आय-सीमा संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4- अतएव उक्त प्रस्ताव पर सम्यकविचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग (कक्षा 9 व 10) की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिये अभिभावकों की आय-सीमा/गरीबी रेखा को तत्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया-46,080/- वार्षिक प्रति परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में रूपया-56,460/- वार्षिक प्रति परिवार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-139/2015/4067/(1)/26-3-2015तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पंसख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,उ0प्र0 लखनऊ।
8- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी,उ0प्र0द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
11-निदेशक,एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
13-राज्य योजना आयोग अनु0-1/2
14-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।